न्यायालय नायब तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति, R.T.S.
मिसल नं. ::: 125 / 2023

सरकार बनाम नन्दकिशोर, रामकिशन, शीशराम पुत्रगण लालजी, जाति–ब्राम्हण, निवासी– कुलोठ कलां

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 05.04.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान नन्दकिशोर, रामकिशन, शीशराम पुत्रगण लालजी, जाति–ब्राम्हण, निवासी– कुलोठ कलां द्वारा ग्राम कुलोठ कलां की राजकीय भूमि ख.नं. 384 रकबा 0.15 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से 50 वर्ग मीटर भूमि पर चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायलान ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। गैर सायलान ने अपने जवाब नोटिस में अंकित किया है वे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे शुदा भूमि पर रहते है तथा पट्टे के नापतोल के मुताबिक ही निर्माण किया है। ग्राम पंचायत कुलोठ कलां की आबादी भूमि में 191.75 वर्ग गज के ग्राम पंचायत कुलोठ कलां द्वारा जारी पट्टे एवं रजिस्ट्रेशन दस्तावेज की छाया प्रतियां पेश की। जिसके अनुसार पट्टा संख्या 010 जो दिनांक 13.06.2022 को ग्राम पंचायत कुलोठ कलां द्वारा जारी किया गया है। जिसका पंजीयन दिनांक 08.08.2022 को उप पंजीयक कार्यालय सूरजगढ़ में किया गया है। दिनांक 05.04.2023 को ग्राम कुलोठ कलां की भूमि ख.नं. 384 किस्म गै.मु. रास्ता व ख.नं. 281 किस्म गै.मु. आबादी की विवादित सीमा का मौके पर जीपीएस मशीन व फीते से DILRMP शीट के अनुसार सीमाज्ञान किया जाकर सीमाचिन्ह लगाये गये। चूंकि गैर सायलान के नाम से उक्त विवादित भूमि का पट्टा बना हुआ है। अतः जब तक पट्टा वैध है, तब तक इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण पत्रावली में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़